कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
वनादेश 14 /1-12 देहरादून दिनांक 26 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–379/1–12, दिनांक 10.09.2020 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन क्षेत्राधिकारी, उप राजिक और वन दरोगा सेवा (संशोधन) नियमावली 2011 में शत प्रतिशत पदोन्नति का प्राविधान होने की प्रत्याशा में इस कार्यालय के पत्रांक 234/1–12(7), दिनांक 10.09.2010 तथा पत्रांक 348/1–12(7), दिनांक 30.11.2012 की सूची में सूचीबद्ध कार्मिकों को दिनांक 28.11.2011 से पदोन्नत मानते हुये दिनांक 01.07.2020 की स्थिति पर आधारित वन दरोगाओं की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय के क्रम में अभिलेखों के परीक्षण पर ज्ञात हुआ कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन क्षेत्राधिकारी, उप राजिक और वन दरोगा से (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रख्यापन के पश्चात नियमावली, 2011 के नियम–5(ग) के क्रम में निम्न तालिका में अंकित कार्मिकों द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण न करने के कारण विनियमितिकरण नही किया गया साथ ही **वन संरक्षक शिवालिक वृत्त के वनादेश संख्या 42/1–3, दिनांक 30.03.2013 एवं वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त के वनादेश संख्या 23/1–12–7, दिनांक 13.10.2014 द्वारा** तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमशः 67/1–13, दिनांक 03.11.2010 एवं ख–378/1–12–7, दिनांक 29.10.2011 (हीरा सिंह) को निरस्त करते हुये उनको मूल पद वन रक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

उक्त प्रत्यावर्तित आदेश के विरूद्ध कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या 438(एस0/एस0) 2013 मायादत्त पाण्डे एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि तथा रिट याचिका संख्या 1880/(एस0एस0)/2014 हीरा सिंह बनाम राज्यादि योजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यचिकाओं को वन दरोगा के पद पर यथावत बने रहने का आदेश पारित किया गया। अर्थात् उक्त कार्मिकों हेतु तदर्थ पदोन्नति आदेश यथावत लागू रहा।

उक्त स्थिति से ज्ञात होता है कि तालिका में अंकित कार्मिकों का आतिथि तक भी वन दरोगा के पद पर नियमितीकरण नही हुआ है, जिस हेतु निम्न कार्मिकों का स्तम्भ–6 में अंकित तिथि के अनुसार वन दरोगा के पद पर नियमितीकरण किया जाता है।

क्र. सं.	कार्यालय/वृत्त का नाम	कार्मिक का नाम	वन आरक्षी के पद पद नियुक्ति की तिथि	वन दरोगा के पद पर तदर्थ पदोन्नति का वनादेश	तदर्थ पदोन्नति के नियमित होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिमी वृत्त	मुनेश सिंह राणा	20.03.2008	96/1–12(7), दिनांक 29.11.2011	01.07.2018
2		अवतार सिंह	20.03.2008		
3	यमुना वृत्त	सोबन सिंह	08.08.2003	88/1–12(7), दिनांक 26.11.2010	01.07.2014
4		शूरवीर सिंह तोमर	20.08.2003		01.07.2014
5		सिन्ना सिंह	15.03.2008		01.07.2018
6	गढ़वाल वृत्त	हीरा सिंह	15.03.2008	ख–378/1–12–7, दिनांक 29.10.2011	01.07.2018
7	शिवालिक वृत्त	मायादत्त पाण्डेय	26.08.2003	67/1–13, दिनांक 03.11.2010	01.07.2014
8		महावीर सिंह	19.03.2008		01.07.2018
9		गम्भीर सिंह	19.03.2008		01.07.2018
10	रा0टा0रिजर्व	जयपाल सिंह	25.08.2003	86/1–12(7), दिनांक 28.10.2010	01.07.2014
11		रघुवीर सिंह चौहान	30.08.2003		01.07.2014

तदक्रम में दिनांक 01.07.2022 की स्थिति पर आधारित वरिष्ठता में तदर्थ पदोन्नति की तिथि एवं वन दरोगा के पद पर विनियमितीकरण की तिथि अंकित की जायें साथ ही उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु तदर्थ पदोन्नति की तिथि का भी संज्ञान लिया जायें।

26.7.22

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

पत्रांक 144(1) / 1-12 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि 1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. मुख्य वन संरक्षक, निगरानी मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. अध्यक्ष/महामन्त्री, सहायक वन कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

26.7.22

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

I.T. i/c
कृ. अपलोड करें
DCF 27/7